

#### असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 896] No. 896] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2017/चैत्र 9, 1939

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2017/CHAITRA 9, 1939

### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

का.आ. 1005(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 01 अप्रैल, 2017 को उक्त संहिता की निम्नलिखित धाराओं के उपबंधों को प्रवृत्त करने की तारीख नियत करती है:—

- (1) धारा 59;
- (2) धारा 209 से धारा 215 (जिसके अंतर्गत दोनों हैं);
- (3) धारा 216 की उपधारा (1); और
- (4) धारा 234 और धारा 235।

[फा. सं. 30/7/2016-इंसोल्वेंसी अनुभाग] अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2017

**S.O. 1005(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> April, 2017 as the date on which the provisions of the following sections of the said Code shall come into force:—

- section 59;
- (2) section 209 to section 215 (both inclusive);
- (3) sub-section (1) of section 216; and
- (4) section 234 and section 235.

[F. No. 30/7/2016-Insolvency Section] AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

1805 GI/2017